डा0 ऋचा सिंह
एसोसिएट प्रो0
हिन्दी विभाग
हरिश्चन्द्र स्ना0 महा0 वाराणसी

अर्थ परिवर्तन की दिशाएँ

भाषा में अन्य तत्वों की भॉति अर्थ भी स्थायी वस्तु नहीं हैं प्रयुक्त ध्वनि एवं रूप ही भॉति उसमें परिवर्तन अवश्य होता है। लेकिन रचना में तो वह मूल शब्द ही प्रयोग होता है। केवल विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार विस्तार एवं संकोच में अर्थ ग्रहण किया जाता है। और इस प्रकार एक स्वाभाविक गति बन जाती है इस गति को ही अर्थ परिवर्तन की दिशा अथवा प्रकार कहते हैं ये दिशाएँ सार्वभाषिक वृत्तियॉ हैं इनकी ओर सर्वप्रथम ब्रील ने इंगित किया था उन्होने तीन दिशाओं की सार्थ खोज की थी (अर्थविस्तार, अर्थसंकोच, अर्थादेश)। क्रमशः इन दिनों दिशाओं का विस्तृत विवेचन अग्रवर्णित है–

अर्थ–विस्तार (Expansion of meaning widening)

रचना के स्तर पर शब्द का अर्थ मूलतः एक बिन्दु पर केन्द्रित होता है किन्तु बाद में व्यापक अभिधेय को अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए अथवा किन्ही अन्य करणों से कोई शब्द विस्तृत अर्थ का वाचक बन जाता है इसे ही अर्थ–विस्तार कहते है। उदाहरण के लिए कुशल शब्द का प्रारम्भ में कुश+ल 'कुश' का अर्थ घांस को लाने वाला' अर्थ का बोधक था। इस घांस को उखाड़ कर लाना अपेक्षाकृत कठिन समझा जाता था जो कोई इसे उखाड़ लाता था उसे कुशल समझा जाता था यह कुश बहुत नुकीला और हाथ छेदने वाला होता है और जो बुद्धिमत्ता से उखाड़ता था बिना हाथ के छेदने पर वही कुशल समझा जाता था लेकिन आज यही 'कुशल' चतुर शब्द में परिवर्तित हुआ है।

अर्थ–विस्तार के सम्बन्ध में टक्कर महोदय का कथन है कि– ''अर्थ विस्तार तो होता ही नहीं है, किन्तु जिसे हम अर्थ विस्तार कहते हैं वह वस्तुतः अर्थादेश है लेकिन इनकी यह मान्यता आन स्वीकृत नहीं है

क्योंकि अर्थ–विस्तार होता है किन्तु अर्थ–संकोच के अनुसार नहीं। जैसे तेल शब्द केवल तिल के लिए प्रयुक्त होता था किन्तु आज सभी तेलों के लिए प्रयुक्त होता हैं।

इसी प्रकार कुछ अन्य शब्द इस प्रकार है कि जो अर्थ–विस्तार को पा चुके हैं–

शब्द	मौलिक–अर्थ	विस्तृत–अर्थ
अभ्यास	वाणादि फेंकना	प्रयत्न
प्रवीण	वीजा बजाने में निपुण	चतुर
कुशल	कुश लाने में दक्ष	दक्ष
निपुण	पुण्य करने वाला	सभी कार्यों मेंनिपुण, चतुर

अर्थ विस्तार में मुख्यतः सादृश्य, सामीप्य, तात्कर्म्य, शब्दार्थ के एक अंश की अविविक्षा तथा मुख्यार्थ से सम्बन्द्ध अन्य अर्थ की प्रतीति आदि कारणों से होता है।

अर्थ–संकोच (Constructon of meaning or Narrowing)

यह अर्थ विस्तार का ठीक उल्टा है। कोई शब्द पहले विस्तृत का वाचक था, लेकिन बाद में सीमित अर्थ का वाचक हो गया अथवा उत्पत्ति से विस्तृत अर्थ का वाचक होते हुए भी प्रयोग में सीमित हो गया तो वही अर्थ संकोच कहलाता है। ब्रील का कहना है कि जो जाति या देश जितना अधिक सभ्य होगा, उसकी भाषा में अर्थ सकोच भी उतना ही अधिक होगा। उदाहरण के लिए संस्कृत के 'मृग' शब्द का अर्थ पशु था किन्तु आज वह पशु विशेष (हिरन) का वाचक है इसी प्रकार निम्न शब्द भी आज अर्थ–संकोच को प्राप्त कर चुके हैं–

शब्द	मूल अर्थ	संकुचित या वर्तमान अर्थ
वेद	विद्या	ऋग्वेद आदि वेद
वर	जो मांगा जाए	इच्छा
पथ	पीने का पदार्थ	जल
धान्य	अन्न	धान

अर्थ संकोच के निम्नलिखित कारण है– समास, उपसर्ग, प्रत्यय, विशेषक, नामकरण आदि।

समास

समास के कारण भी अर्थ–संकोच होता है यथा– 'निलाम्बर' (बलराम) पिताम्बर (कृष्ण) पश्यतोहार (सोनार) आदि शब्दों का अर्थ बहुब्रीहि के कारण सुकुचित हे गया है।

उपसर्ग

ये भी संयुक्त होकर अर्थ सीमित कर देते हैं– यथा 'आचार' में विभिन्न उपसर्गों को जोड़ने से दुराचार, दुराचार, सदाचार, कदाचार आदि उपसर्गों के प्रयोग से अर्थ संकुचित हो गया है।

विशेषण

ये भी अर्थ व्यवच्छेदक का कार्य करते हैं यथा 'गुलाब' या कमल कहने ये किसी भी रंग जाति का भाव बोध हो सकता है।

प्रत्यय

इसके योग से भी अर्थ केन्द्रित हो जाता है। जैसे– भज् धातु से 'भजन', 'भक्ति' भग शब्द बन जाता है।

नामकरण

विशेष नामकरण कर देने पर भी अर्थ सीमित हो जाता है जैसे पर्वत, नदी, कहने से सभी पर्वतों का बोध हो।

अर्थादेश या अर्थसंक्रमण (Transference of meaning)

अर्थादेश अर्थ परिर्वन की महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। यहाँ आदेश परिवर्तन का वाचक है। अर्थादेश में न अर्थ संकुचित होता है और न विस्तृत ही। वस्तुतः आदेश में एक अर्थ का स्थान दूसरा ले लेता है। अर्थादेश में अर्थ की मात्रा का सहज परिणाम होता है। कभी–कभी किसी शब्द के प्रमुख अर्थ के साथ गौण अर्थ भी प्रयुक्त होने लगता है। और कुछ समय के उपरान्त गौण अर्थ ही प्रधान अर्थ का रूप ले लेता है इस प्रकार एक अर्थ के लुप्त होने और नवीन अर्थ के आ जाने का नाम अर्थादेश है। उदाहरण के लिए वैदिक युग में 'असुर' शब्द देवता का वाचक था किन्तु बाद में वह 'दैव्य' का प्रतिरूप बन गया है। इसी प्रकार निम्न शब्द दर्शनीय है–

शब्द	मूल अर्थ	वर्तमान अर्थ
दुहिता	दूध दूहने वाली	कन्या
उपवास	अग्नि के पास रहने वाला	व्रत
अनुग्रह	पीछे से हाथ लगाना	कृपा

डा0 देवेन्द्र नाथ शर्मा का विचार है कि ''अर्थ परिवर्तन दन तीनों में से किसी भी दिशा में क्यों न हो, उसके पीछे लक्षणावृत्ति काम करती है। शब्द के मुख्य अर्थ में जब कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता।''

अर्थादेश में अर्थ–परिवर्तन सम्बन्धी दो तथ्य प्रकट होते हैं। एक यह की कुछ शब्द पहले अच्छे अर्थ में प्रचलित रहते हैं, किन्तु बाद में बुरे अर्थ में

द्योतक होते हैं परन्तु बाद में वे अच्छे अर्थो में प्रयुक्त होने लगते हैं। इन्हे क्रमशः अर्थोपकर्षण और अर्थोत्कर्षण कहा जाता है।

अर्थोपकर्ष

जब किसी कारण किसी शब्द का अर्थ गिर जाता है, अच्छे से बुरा हो जाता है तो उसे अर्थोपकर्ष या अर्थावनति कहते हैं। कुछ उदाहरण 'गुहर' भेजपूरी भाषा में ध्वनि परिवर्तन के कारण गुह शब्द बन गया है जिसका अर्थ अश्लील हो गय है। 'जुगुप्सा' जिसका अर्थ है छिपाना किन्तु आज घृणा के अर्थ में प्रयुक्त होता है।

अर्थोत्कर्ष

शब्दों के अर्थ का परिवर्तन होकर पहले से अधिक उन्नत, शिष्ट, अर्थ का सूचक अर्थ अर्थोत्कर्षण कहा जाता है। डा0 श्यामसुन्दर दास ने लिखा है– ''जिस प्रकार जीवन में उत्कर्ष के उदाहरण कम मिलते हैं उसी प्रकार शब्द भण्डार में भी अर्थोत्कर्ष के उदाहरण कम मिलते हैं।''

जैसे–

शब्द	मूल अर्थ	अर्थोत्कर्ष
कर्पट	जीर्ण कपड़ा	कपड़ा
मुग्ध	सुन्दर, मूढ़	थीला–थाला

सन्दर्भ सूची साभार

डा0 राजमणि शर्मा– उाधुनिक भाषा विज्ञान

डा0 भोलानाथ तिवारी– भाषा विज्ञान

डा0 द्वारिका प्रसाद सक्सेना